<u>छात्रवृत्ति आवेदन करने से पूर्व प्रोफाइल आईडी बनाने के निर्देश</u>

महाविद्यालय की समस्त पिछड़ा वर्ग **(OBC),** अनुसूचित जाति **(SC),** एवं अनुसूचित जनजाति **(ST)** वर्ग की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष **2023-24** की छात्राओं को सूचित किया जाता है कि इस वर्ष से पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना का संचालन **(MPTAAS PORTAL)** पर किया जाना है। जिसके लिये "हितग्राही प्रोफाइल पंजीकरण" कराना अनिवार्य है।

अतः पिछड़ा वर्ग **(OBC),** अनुसूचित जाति **(SC),** एवं अनुसूचित जनजाति **(ST)** वर्ग की स्नातक/स्नातकोत्तर प्रथम वर्ष **2023-24** की छात्रायें अपनी हितग्राही प्रोफाइल में आधार नम्बर, जाति प्रमाण पत्र, समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी की जानकारी बिन्दु अनुसार हो।

1. <u>आधार नम्बर –</u>

1. जिन छात्राओं के पास पूर्व से आधार नंबर है, उनके आधार का पूरा डाटा यथा सही नाम (हिन्दी एवं अंग्रेजी), पूर्ण जन्म दिनांक **(DD/MM/YYYY** प्रारूप में**),** सही पता तथा वर्तमान मोबाइल नंबर होना आवश्यक है।
2. निर्धारित प्रक्रिया के तहत छात्राओं को देय भुगतान उनके 'आधार' से लिंक बैंक खाते में सीधे संचालनालय स्थित नोडल बैंक खाते के माध्यम से किया जायेगा। छात्रायें अपना "आधार" बैंक खाते से लिंक कराने हेतु अपने माता अथवा पिता के बैंक खाते की जानकारी देती है, ऐसी स्थिति में छात्राओं का "आधार" बैंक खाते से लिंक नहीं हो सकता है। तब बैंक द्वारा छात्राओं को अपना "आधार" नंबर जुड़वाकर नवीन बैंक खाता खुलवाना होगा, जिससे छात्राओं का आधार नंबर उनके स्वयं के बैंक खाते से लिंक हो सकेगा।

3. छात्राओं को अपना बैंक खाता "आधार" नंबर से लिंक कराने के पश्चात बैंक जाकर बायोमेट्रिक देकर "आधार" का प्रमाणीकरण (Authentication) कराना होगा। प्रमाणीकरण (Authentication) कराना अति आवश्यक है।

2. <u>जति प्रमाण पत्र –</u>

1. छात्राओं के पास जाति प्रमाण–पत्र अनिवार्य रूप से होना चाहिये।

2. समस्त छात्राओं के पास ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से जारी डिजिटल हस्ताक्षरित जाति प्रमाण–पत्र होना चाहिये।

3. <u>समग्र डाटाबेस की जानकारी को अपडेट कराना –</u>

1. प्रोफाइल पंजीकरण के समय छात्रा की समग्र परिवार आईडी एवं समग्र सदस्य आईडी की प्रतिष्टि की जाना है।

2. "समग्र" डाटाबेस में समस्त छात्राओं की व्यक्तिगत जानकारी जैसे छात्रा का सही नाम, परिवार मुखिया से संबंध, लिंग, पूर्ण जन्म दिनांक **(DD/MM/YYYY** प्रारूप में**),** जाति–उपजाति, विकलांगता स्थिति, माता–पिता का नाम, माता–पिता का व्यवसाय, बीपीएल स्थिति एवं छात्र–छात्राओं की शैक्षणिक जानकारी।

3. सबसे महत्वपूर्ण, समग्र डाटाबेस में "आधार" नंबर की ऐंट्री करायी जाये।

4. "समग्र" में पंजीयन, व्यक्तिगत जानकारी अपडेट एवं "आधार" नंबर की ऐंट्री "समग्र नागरिक सेवा पोर्टल" के माध्यम से ऑनलाइन की जा सकती है।

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर म.प्र.

SC/ST पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन) 2023 – 2024

<u>छात्रवृत्ति आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज</u>

<u>छात्रवृत्ति आवेदन लिंक (https://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS)</u>

1. प्रोफाइल आई.डी.
2. छात्रवृत्ति आवेदन
3. आय प्रमाण पत्र (वर्ष 2023 से मान्य) तहसीलदार द्वारा जारी
4. जाति प्रमाण पत्र (डिजीटल जाति प्रमाण पत्र)
5. निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी
6. दसवी एवं बारहवीं की अंक सूची (स्नातक स्तर के लिये)
7. पिछले वर्ष की अंक सूची (स्नातकोत्तर स्तर के लिये)
8. बैंक पासबुक की छायाप्रति न्यूनतम राशि 1000रूपये सहित
9. छात्रा का बैक खाता क्र.NPCI ls Link (DBT Mode) में होना आवश्यक है।
10. NPCI एवं आधार से लिंक आवेदन की स्लिप
11. प्रवेश फीस रसीद टी.सी. की छायाप्रति
12. समग्र आई डी.
13. आधार कार्ड
14. छात्रवृत्ति फार्म पर स्वयं का चालू मोबाइल नं. अंकित अवश्य करें

पात्रताः— 1. □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□/□□□□□□□□□ □□□□ □□□□ □□ □□□

- 2. □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□□ पर -
/ आय 6.00 तक
आय

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर म.प्र.

OBC पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति (नवीन) 2023–2024

छात्रवृत्ति आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज

छात्रवृत्ति आवेदन लिंक (https://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS)

1. प्रोफाइल आई.डी.
2. छात्रवृत्ति आवेदन
3. आय प्रमाण पत्र (वर्ष 2023 से मान्य) तहसीलदार द्वारा जारी
4. जाति प्रमाण पत्र (डिजीटल जाति प्रमाण पत्र)
5. निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी
6. दसवी एवं बारहवीं की अंक सूची (स्नातक स्तर के लिये)
7. पिछले वर्ष की अंक सूची (स्नातकोत्तर स्तर के लिये)
8. बैंक पासबुक की छायाप्रति न्यूनतम राशि 1000रूपये सहित
9. छात्रा का बैक खाता क्र.NPCI ls Link (DBT Mode) में होना आवश्यक है।
10. NPCI एवं आधार से लिंक आवेदन की स्लिप
11. प्रवेश फीस रसीद टी.सी. की छायाप्रति
12. समग्र आई डी.
13. आधार कार्ड
14. छात्रवृत्ति फार्म पर स्वयं का चालू मोबाइल नं. अंकित अवश्य करें

पात्रताः–

- □□□□□□ □□□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ □□□
- □□□□/□□□□/□□□□□□□□□ □□ □□□ □□□□□□□ आय 3,00,000/-
  न

शासकीय स्वशासी कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय सागर म.प्र.

SC/ST आवास सहायता योजना (नवीन) 2023 – 2024

<u>छात्रवृत्ति आवेदन के साथ संलग्न दस्तावेज</u>

<u>छात्रवृत्ति आवेदन लिंक (https://www.tribal.mp.gov.in/MPTAAS)</u>

1. प्रोफाइल आई.डी.
2. छात्रवृत्ति आवेदन
3. मकान मालिक के साथ किराया नामा की मूल प्रति।
4. आवेदक छात्र/छात्रा के पिता का अध्ययनरत महाविद्यालय की पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम क्षेत्र में कोई मकान न होने का शपथ पत्र।
5. महाविद्यालय के प्राचार्य/अधिकारी का आवेदक के किराये से रहने वाले स्थल का सत्यापन।
6. महाविद्यालय के क्षेत्र में उपलब्ध शासकीय छात्रावास में स्थान न रिक्त होने के कारण प्रवेश न मिलने का अधीक्षक का प्रमाण पत्र।
7. मकान मालिक के साथ आवेदक का संयुक्त छायाचित्र।
8. आवेदक का पोस्ट मेट्रिक छात्रवृत्ति के प्रपोजल में उसके होस्टल स्टेट्स (NO) अंकित होना चाहिये।
9. आय प्रमाण पत्र (वर्ष 2020 से मान्य) तहसीलदार द्वारा जारी
10. स्थायी जाति प्रमाण पत्र अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जारी
11. निवास प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा जारी (अध्ययनरत महाविद्यालय की पंचायत/नगर पालिका/नगर निगम क्षेत्र का नहीं होना चाहिये)

<u>अन्य दस्तावेज जिनको भी सत्यापित करना है।</u>

1. पिछली कक्षा में उत्तीर्ण की अंक सूची
2. बैंक पासबुक की छायाप्रति
3. समग्र आई डी.
4. आधार कार्ड आवेदक एवं मकान मालिक दोनों का

पात्रताः—

1. [illegible] /[illegible]

2- [illegible]

3- [illegible] न

4- आय

आय

, 6.00

5- एक (/)

अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
• आवेदक म.प्र. का अल्पसंख्यक वर्ग में मूल निवासी हो। • आवेदक के माता-पिता एवं अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो। • अंतिम अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक न हों।	• आवेदक को भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

(अ) निःशक्तजन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
(अ) विद्यार्थी म.प्र. का निवासी हो तथा शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में नियमित रूप से अध्ययनरत हो। (ब) हायर सेकेण्डरी परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण करने के उपरांत स्नातक प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया हो। (स) 40 प्रतिशत या इससे अधिक निःशक्तता वाला विद्यार्थी हो एवं इस हेतु चिकित्सक द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया हो।	• स्नातकोत्तर के निःशक्त विद्यार्थियों को नोडल विभाग के संयुक्त संचालक/उपसंचालक को आवेदन करना होगा। • स्नातक, स्नातकोत्तर के निःशक्त विद्यार्थियों को नोडल विभाग के संयुक्त संचालक/उप संचालक को आवेदन करना होगा।

अल्पसंख्यक पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
• आवेदक म.प्र. का अल्पसंख्यक वर्ग में मूल निवासी हो। • आवेदक के माता-पिता एवं अभिभावक की कुल वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो। • अंतिम अर्हकारी परीक्षा में 50 प्रतिशत से कम अंक न हों।	आवेदक को भारत सरकार के छात्रवृत्ति पोर्टल http://scholarships.gov.in पर ऑनलाईन आवेदन करना होगा।

बीड़ी श्रमिकों के बच्चों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति

छात्रवृत्ति विभाग का नाम योग्यता आय फार्म प्राप्ति की अन्तिम तिथि भेजने का माध्यम/तरीका रिमार्क बीड़ी श्रमिकों के बच्चों के शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना (छात्रवृत्ति) भारत सरकार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय कार्यालय कल्याण एवं उपकर आयुक्त श्रम कल्याण संगठन मध्यप्रदेश एवं छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र 797 शांति कुंज साउथ सिविल लाइन, जबलपुर (म.प्र.) पिछली कक्षा में उत्तीर्ण होना आवश्यक है। परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रवेश तिथि से एक माह तक की अवधि में प्राचार्य से अग्रेषित करवाकर भेजें। छात्रा को स्वयं अपने डाक खर्च पर आवेदन फार्म प्रशासनिक एवं लेखा अधिकारी जबलपुर को भेजना है। फार्म पर प्राचार्य से हस्ताक्षर करवाना आवश्यक है।

1. आवेदन फार्म पर बीड़ी श्रमिक बीड़ी सट्टेदार के पूर्ण हस्ताक्षर सील पर होना चाहिये।
2. उत्तीर्ण कक्षा की अंकसूची की सत्यापित कॉपी लगायें।
3. आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
4. प्रवेश रसीद की कॉपी लगायें।
5. यदि पिता शासकीय सेवक हों तो विभाग का आय प्रमाण पत्र संलग्न करें।
6. बीड़ी का कार्ड की कॉपी संलग्न होना चाहिए।
7. कम से कम 6 माह की अवधि बीड़ी बनाते हेतु पूर्ण होना चाहिए।
8. बीड़ी कार्ड में छात्रा का नाम होना आवश्यक है।

नोट - शासकीय आदेशानुसार अन्य कोई भी छात्रवृत्ति मिलने की स्थिति में बीड़ी छात्रवृत्ति की पात्रता नहीं होगी।

एकीकृत

आवेदक की पात्रता	आवेदन एवं स्वीकृति की प्रक्रिया
• सम्बन्धित कक्षा में किसी शासकीय/अनुदान प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत हो। • माता-पिता/अभिभावकों की पारिवारिक वार्षिक आय राशि रुपए 54000/- से अधिक न हो। **अन्य अर्हता** • स्नातकोत्तर : स्नातक में 55 प्रतिशत अंक। • खेलकूद : मध्यप्रदेश की स्कूल टीम में राष्ट्रीय खेल दल के सदस्य हों अथवा प्रदेश की व्यस्क टीक के सदस्य हों अथवा प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता में पहले तीन स्थानों में से किसी पर रहे हों। • स्नातक (योग्यता) माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 60 प्रतिशत अंक। • स्नातक (योग्यता सह साधन : माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक।	• उच्च शिक्षा संचालनालय द्वारा विज्ञापन जारी किया जाता है। • प्राप्त आवेदनों का परीक्षण किया जाता है एवं निर्धारित कोटे की सीमा के अंतर्गत आवेदकों का चयन किया जाता है। • आयुक्त, उच्च शिक्षा की स्वीकृति से राशि आवेदक के बैंक खाते में प्रदाय की जाती है। • छात्रवृत्ति 10 माह के लिए प्रदान की जाती है।